

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2022 / 06

बउनवान

राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति राव राजपूत निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
2. कमलकिशोर पुत्र रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
3. मुरारी पुत्र रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
4. छप्याबाई पत्नी रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
5. कलावती पुत्री रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
6. पप्पी पुत्री रामलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारों

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :- 1- श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (प्रार्थी)
2- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक(अप्रार्थी क्रम 1 ता 6)
3- पेरोकार सरकार (अप्रार्थी क्रम 7)

निर्णय दिनांक 29.09.2023

प्रार्थी द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे आवंटनी श्री रामलाल पुत्र बिरधीलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों को आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से ग्राम कवाई तहसील अटरू के खसरा नम्बर 348/0.23, 352/0.24, कुल 0.47 हेक्टर भूमि आवंटित की गई। जिससे से अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी छबडा से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 6 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 7 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी छबडा से मूल आवंटन आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा गया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.24 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 0.47 हेक्टर दिनांक 21.10.1997 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता श्री रामलाल पुत्र बिरधीलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू को आवंटन किया गया है। किन्तु रामलाल द्वारा अपने जीवनकाल मे आवंटनशुदा आराजियात पर कभी भी कब्जा काशत नही किया गया जबकि भू आवंटन नियम, 1970 मे स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटन शुदा आराजी के अनुसार 1/2 हिस्से पर प्रथम वर्ष व सम्पूर्ण आवंटन पर

2 वर्ष में कब्जा लिया जाना आवश्यक है अन्यथा भू आवंटन 1970 के नियमों का उल्लंघन होने के कारण आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन दिनांक 21.10.1997 के आज दिन तक आवंटी रामलाल व उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि रामलाल पुत्र बिखीलाल जाति सहरिया निवासी कवाई का देहान्त हो चुका है व उसके वैधानिक वारिस व कायम मुकामान अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 है इनके अतिरिक्त मृतक रामलाल का अन्य कोई वैधानिक वारिस या कायम मुकामान नहीं है। यह कि उक्त आवंटन शुदा आराजी के लगवां ही प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है उसमें ही उक्त आवंटन शुदा आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 0.23 हेक्टर व खसरा नम्बर 352 रकबा 0.24 हेक्टर मिले हुए है जिस पर प्रार्थी का व उसके पूर्वजो का जायज अर्सा 60-70 वर्षों से निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार अटरू द्वारा चाही गई मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी कवाई द्वारा दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 348 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.24 हेक्टर, पर प्रार्थी का जायज अर्सा 30 वर्षों के अधिक समय से कब्जा काशत होना दर्शाया गया है।

इस प्रकार आवंटित आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 0.23 हेक्टर व खसरा नम्बर 352 रकबा 0.24 हेक्टर पर आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पूर्व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काशत है इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता रामलाल को किया गया आवंटन, आवंटन नियम 1970 की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में भू आवंटन नियम 1970 की शर्तों की पालना वर्ष 1997 से आज तक नहीं हुई है। मेरे खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप में भूमि है इसलिये मुझे आवंटन होना चाहिये। आवंटन के समय मौका स्थिति नहीं देखी गई। इसलिये अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 के पिता रामलाल पुत्र बिखीलाल जाति सहरिया के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कब्जा किये जाने पर धमकी दिये जाने के कारण उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 12.12.2021 को होने पर एवं हल्का पटवारी कवाई द्वारा दिनांक 15.12.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर व भू आवंटन की नकल प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। गैरखातेदारी से खातेदारी हेतु भूमि पर पजेशन लिया जाना जरूरी है न तो आवंटन के समय ओर न ही खातेदारी अधिकार देते समय पजेशन देखा गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं होता है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.-2010 Vol IA 19-4 Rulas होना अवगत करवाया गया। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा केम्प कवाई में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 निरस्त किया जाकर प्रार्थी को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा केम्प कवाई में आवंटी श्री रामलाल पुत्र बिखीलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारों को आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से ग्राम कवाई तहसील अटरू के खसरा नम्बर 348/0.23, 352/0.24, कुल 0.47 हेक्टर भूमि आवंटित की गई। जिसको निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा 01.02.2022 को प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवंटी एवं उसके कायम मुकामान को आवंटन आदेश की शर्तों की पालना किये जाने के उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2075-2078 पत्रावली में संलग्न है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को आवंटन नियमानुसार ही हुआ है। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.-2019 पेज 77 की छायाप्रति प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा केम्प कवाई मे आवंटन आदेश दिनांक 21.10.1997 से अप्रार्थी श्री रामलाल पुत्र बिरधीलाल जाति सहरिया निवासी कवाई तहसील अटरू को भूमि आवंटित की गई। जिसको निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि आवंटित आराजी पर आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पूर्वजो का निरन्तर आज तक कब्जा काश्त है। प्रकरण मे भू आवंटन नियम, 1970 की शर्तो की पालना वर्ष 1997 से आज तक नही हुई है। मेरे खाते की भूमि से मिली हुई भूपट्टी के रूप मे भूमि है इसलिये मुझे आवंटन होना चाहिये। अप्रार्थी का कथन है कि है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 मे आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी जाति से सहरिया है जिसको आवंटन हुआ है। अप्रार्थी के अभिभाषक के कथनो से सहमत है। है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.-2010 Vol IA 19-4 Rulas होना अवगत करवाया गया। किन्तु इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये गये। प्रकरण मे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला कलक्टर
बारों